



पत्रांक:-2261/वि०न०वि०मं०/मे०/विज्ञापन/शि०अनु०

दिनांक:-25.04.2026

विषय:- विज्ञापन प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,

दैनिक जागरण,

मेरठ।

महोदय,

विज्ञापन व्यवस्थापक,

हीरा टाईम्स,

मेरठ।

प्रथम प्रति/द्वितीय प्रति

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 26.04.2026 तक के अंक में कम से कम स्थान में हिन्दी समाचार पत्रों के लिए 10-12-14 प्वाइंट टाईप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 8-10-12 प्वाइंट टाईप में रनिंग मैटर के स्थान पर दिये गये प्रारूप में यथास्वरूप प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

- वर्गीकृत विज्ञापन दो कॉलम में (चौड़ाई 8 से०मी०) अथवा निविदा शुद्धिकरण/वैधानिक सूचनाओं को 1 कॉलम (चौड़ाई 4 से०मी०) में प्रकाशित करें। निगम के नाम पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 14 फोन्ट साईज पट्टी तथा बोल्ड शब्दों (चौड़ाई 1 से०मी०) में प्रकाशित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिए संलग्न अंग्रेजी भाषा पत्र की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये, जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की 02 कटिंग अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये, अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- टेन्डर/सूचना इत्यादि उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद निगम की पूर्वानुमति के बिना कदापि प्रकाशित न करें।
- यदि आपको सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन की डी०ए०वी०पी० निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकार न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें, तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कॉरपोरेशन द्वारा नियमानुसार कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका अथवा निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक:-विज्ञापन आदेश (02 प्रतियों में)।

(मोहम्मद अरशद)

अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक:-25.04.2026

पत्रांक:-2261/वि०न०वि०मं०/मे०/विज्ञापन/शि०अनु०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता (तक०), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र-प्रथम, मेरठ।
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता (वा०), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- अधिशासी अभियन्ता, 33 केवी लाईन, मेरठ।
- कैशियर, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
- नोटिस बोर्ड।

संलग्नक:-यथोपरि।

(मोहम्मद अरशद)

अधीक्षण अभियन्ता

<p>पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ</p>
<p>ई-निविदा सूचना/EUDC/2026-27 दिनांक 25.04.2026</p>
<p>निविदा संख्या 01 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।</p>
<p>01. खण्ड 33 केवी, मेरठ के कार्यक्षेत्र में एम०ई०एस० मेरठ कैंप में उच्च ऊँचाई पर विमान उडान भरने हेतु जमा योजना के अन्तर्गत 33 केवी ऊपरगामी विद्युत लाईन को भूमिगत करने सम्बन्धी कार्य, प्रपत्र शुल्क रू० 5,900, धरोहर राशि रू० 3,25,000</p>
<p>ई-निविदा की अन्तिम तिथि: 08 मई, 2026, 13:00 बजे</p>
<p>विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी।</p>

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल
मेरठ